बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-11/आ०2-1049/2024- 384 पटना, दिनांक- 11/02/26

अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में जाँच दल संख्या-01 द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम अंतर्गत रैण्डम रूप से योजनाओं का चयन कर इसका औचक निरीक्षण किया गया तथा जिला प्रशासन मोतिहारी के स्तर से दिनांक-20.11.2024 एवं दिनांक-21.11.2024 को जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। दोनों निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदनों में कतिपय त्रुटियाँ पायी गयी यथा योजनाओं का बंद रहना एवं उसे बंद रहने के बावजूद योजनाओं को विभागीय MIS Portal पर चालू दिखाया जाना, मानक के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन न कर लापरवाही बरतना, CGRC Portal पर भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड किया जाना तथा प्राक्कलन तैयार करने में उचित सर्वे का अभाव आदि।

02. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम अन्तर्गत स्थल निरीक्षण के दौरान 06 योजनाएँ बंद पायी गयी, जबकि कई योजनाओं को MIS Portal पर चालू दिखाया गया है। वहीं जिला प्रशासन, मोतिहारी के स्तर से दिनांक-20.11.2024 एवं दिनांक-21.11.2024 को "हर घर नल का जल" योजना के निरीक्षण के क्रम में 522 अदद योजनाएँ बंद पायी गयी एवं काफी योजनाओं में त्रुटियाँ पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि श्री आनन्द कुमार चंदन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बंद योजनाओं को MIS पोर्टल पर चालू दिखा कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान लगभग 100 घरों में गृह जल संयोजन नहीं पाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि योजना का प्राक्कलन तैयार करने में समुचित तरीके से सर्वेक्षण का कार्य नहीं कराया गया है, जिससे बहुत से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

03. मोतिहारी प्रमंडल अन्तर्गत श्री चंदन के स्तर से CGRC Portal पर कुल 159 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया है, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर अधिकांश शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषजनक पाया गया। CGRC Portal पर श्री चंदन द्वारा गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड कर स्पष्ट रूप से विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है।

CGRC Portal से दिनांक-06.12.2025 तक प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदनानुसार लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत कुल 1300 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 1225 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 75 अदद

शिकायतें अभी भी लंबित है। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 200 अदद शिकायतों को Reopen किया गया है, जो अभी भी लंबित है। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 72 अदद है। इसके अतिरिक्त 554 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया है।

04. योजनाओं के बंद रहने, विभागीय मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नहीं किये जाने, योजनाओं के प्राक्कलन तैयार करने में समुचित सर्वे नहीं किये जाने एवं CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का उचित निष्पादन नहीं किये जाने से यह स्पष्ट है कि श्री चंदन द्वारा दोनों प्रमंडलों अन्तर्गत अपने पदस्थापन अवधि में योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं कराया गया है।

05. श्री चंदन का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता मे वर्णित प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। समीक्षोपरान्त श्री चंदन के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

06. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री चंदन के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

07. आरोपित श्री चंदन, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

08. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री आनंद कुमार चंदन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, अपर

सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को दी जाय।

10.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1049/2024- 384 पटना, दिनांक- 11/02/26

प्रतिलिपिः-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1049/2024- 384 पटना, दिनांक- 11/02/26

प्रतिलिपिः-श्री अरविन्द कुमार, अपर सचिव-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना/श्री आनन्द कुमार चंदन, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।

10.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1049/2024- 384 पटना, दिनांक- 11/02/26

प्रतिलिपिः-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर/सासाराम अंचल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.02.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1049/2024- 384 पटना, दिनांक-11/02/26

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.02.26

(संजीव कुमार)

विशेष सचिव

10.2.26